130

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल ग्वालियर केम्प उज्जैन (म.प्र.)

प्रकरण क्रमांक : /2013 निगरानी — R-941-I/13

इंदरपुरी पिता कंचनपुरी जाति गुसांई धंधा पुजारी
निवासी ग्राम निपानिया बैजनाथ तहसील आगर जिला शाजापुर
— आवेदक / निगरानीकर्ता

श्री योगेश गोस्वामी अभि० द्वारा आज दि० 20.2.13 को इंदौर कैम्प पर प्रस्तुत।
20.2.13
(रीडर)

21-2-13

विरूद्ध

1— हिंगलाजपुरी पिता कंचनपुरी जाति गुसाई
2—विष्णुपुरी पिता कंचनपुरी जाति गुसाई
3—श्रीमती लीलाबाई विधवा मोहनपुरी जाति गुसाई
4—प्रकाश पुरी पिता श्याम पुरी जाति गुसाई
समस्त निवासीगण ग्राम निपानिया बैजनाथ तहसील आगर जिला शाजापुर
5— मध्यप्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर महोदय कार्यालय कोठी पैलेस उज्जैन
— अनावेदक / प्रत्यर्थी

माननीय अधिनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) आगर बड़ौद जिला शाजापुर के प्रकरण क्रमांक 16/बी—121/2011—12 में पारित आदेश दिनांक 11/02/2013 से असंतुष्ट होकर यह निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.स.।

मान्यवर महोदय,

आवेदक / निगरानीकर्ता की और से निगरानी का स्मृति लेख निम्नलिखित प्रस्तुत है।

संक्षिप्त तथ्य

1— यह कि, आवेदक / निगरानीकर्ता ग्राम निपानिया बैजनाथ तहसील आगर जिला शाजापुर स्थित बैजनाथ महादेव मंदिर ग्राम पंचायत बेठखेड़ा स्थित का माननीय न्यायालय कलेक्टर महोदय शाजापुर के प्रकरण क्रमांक 13—बी—121 / 1973—74 में पारित आदेश दिनांक 07 / 03 / 1974 से पुजारी है एवं विगत 38 वर्षो से निर्बाध्य रूप से उपरोक्त मंदिर की पुजन अर्चन सेवा करता चला आ रहा है आवेदक / निगरानीकर्ता के पुजारी पद पर नियुक्ति उसके पिता कंचनपुरी की मृत्यु उपरांत उसके उत्तराधिकारी की हैसियत से हुई प्रत्यार्थी क्रमाकं 1 व 2 उसके भाई

XXIX(a)-BR(H)-11

17

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-941-एक/13 **जिला** - शाजापुर

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
10/1/19	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री योगेश गोस्वामी उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 24.4.19 को कलेक्टर, जिला शाजापुर के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य**	